


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 430]
No. 430]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 30, 2017/ज्येष्ठ 9, 1939
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 30, 2017/ JYAISTHA 9, 1939

वस्त्र मंत्रालय
विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 30 मई, 2017

सा.का.नि. 529(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय, स्टाफ कार ड्राइवर भर्ती नियम 2014 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय, स्टाफ कार ड्राइवर भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 हैं।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय, स्टाफ कार ड्राइवर भर्ती नियम, 2014 में,-
(क) नियम 1 के उपनियम (1) में "2014" अंकों के स्थान पर "2015" रखे जाएंगे।
(ख) अनुसूची में स्तंभ (2) के अधीन की प्रविष्टि में "2014" अंकों के स्थान पर "2015" अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं 12018/1/2014-डीसीएचएल/स्थापना-1]

शांतमनु, विकास आयुक्त, हथकरघा

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 581 (अ), तारीख 21 जुलाई, 2015 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 468]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 24, 2015/श्रावण 2, 1937

No. 468]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 24, 2015/SRAVANA 2, 1937

वस्त्र मंत्रालय

(हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2015

सा.का.नि.581(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और स्टाफ कार ड्राइवर, हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, भर्ती नियम, 2005 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय में स्टाफ कार ड्राइवर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय, स्टाफ कार ड्राइवर, भर्ती नियम, 2014 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन के तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड या ग्रेड वेतन या वेतनमान – उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या उससे संलग्न वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।
3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि: उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. निरर्हता: वह व्यक्ति
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
 - (ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
<p>आवश्यक:</p> <p>(i) मोटरकारों के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति रखता हो;</p> <p>(ii) मोटर यान की यंत्र-क्रिया का ज्ञान (अभ्यर्थी यान में छोटी-मोटी खराबियों को दूर करने में समर्थ होना चाहिए);</p> <p>(iii) मोटरकार के चालन का कम से कम तीन वर्षों का अनुभव;</p> <p>(iv) दसवां स्तर पास।</p> <p>वांछनीय:</p> <p>होमगार्ड या सिविल रक्षा सेवक के रूप में तीन वर्षों का अनुभव।</p> <p>टिप्पणी 1- अनुभव संबंधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पणी 2:- अनुभव संबंधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>	लागू नहीं होता	दो वर्ष (सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों या पुनर्नियोजित व्यक्तियों के लिए)	प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधे भर्ती द्वारा सशस्त्र बल के कार्मिकों के लिए; प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन

प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
<p>प्रतिनियुक्ति /आमेलन: हथकरघा विकास आयुक्त के कार्यालय में वेतन बैंड-1, 5200 -20200 रु.- + ग्रेड वेतन 1900 रु.में नियमित समूह 'ग' कर्मचारिवृद्ध में से जो मोटरकारों के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति रखता हो जिसके न हो सकने पर ऐसे पदधारियों में से जो केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों में वेतन बैंड-1, 5200 - 20200 रु.- + ग्रेड वेतन 1800 रु. में नियमित आधार पर सवार हरकारा का पद धारण करते हों या नियमित समूह 'ग' कर्मचारी हो जो स्तंभ (7) में उल्लिखित आवश्यक अर्हताएं पूरी करता हो।</p> <p>सशस्त्र बलों के कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन सशस्त्र बल ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास विहित अपेक्षित अनुभव और अर्हताएं हों। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति /पुष्टि के मामलों में विचार करने के लिए</p> <p>1. अपर या संयुक्त विकास आयुक्त (हथकरघा) प्रशासन का भारसाधक - अध्यक्ष;</p> <p>2. वस्त्र मंत्रालय के कार्यालय में निदेशक या उप सचिव समतुल्य अधिकारी - सदस्य;</p> <p>3. अपर या संयुक्त विकास आयुक्त (हथकरघा) - सदस्य</p>	लागू नहीं होता

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age Limit in for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Staff Car Driver.	1 (One) * (2014) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' Non Gazetted, Non Ministerial.	Pay Band-1, Rs. 5200-20,200 plus grade pay of Rs. 1900/-	Not applicable.	18-25 years*(Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J & K State. Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. *If the direct recruitment is to be made by direct open competitive Examination, the age limit would be 18-27 years.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promo-tees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Essential :</p> <p>(i) Possession of a valid driving license for motorcars;</p> <p>(ii) knowledge of motor mechanism (the candidate should be able to remove minor defects in vehicles);</p> <p>(iii) experience of driving a motorcar for at least three years; and</p> <p>(iv) pass in 10th standard.</p> <p>Desirable:</p> <p>Three years' experience as Home Guard or Civil Volunteers</p> <p>Note 1: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority.</p> <p>Note 2: In the case of candidates belonging to the Schedule Castes or Scheduled Tribes, if at any</p>	Not applicable.	Two years (for direct recruits or re-employed).	By deputation/absorption failing which by direct recruitment. For Armed Forces Personnel: Deputation/re-employment